

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

शुद्धि पत्र

सं०सं० 05 / उ०नि०ब०(आ०)14 / 2016


उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 2491 दिनांक 11.07.2016 के आलोक में आवंटन संख्या 30/आ० दिनांक 15.07.2016 द्वारा विपत्र कोड P2852801020160 के विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी मद में रू० 6117.00 लाख (एकसठ करोड़ सत्तरह लाख) का आवंटन निर्गत किया गया है।

इसी क्रम में उद्योग विभाग के शुद्धि पत्रांक 430 दिनांक 16.02.2017 द्वारा उक्त स्वीकृत्योदश की कंडिका 3 में निम्न प्रकार संशोधित किया गया है।

विपत्र कोड P2852801020160 के विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी मद से रू० 6117.00 लाख (एकसठ करोड़ सत्तरह लाख) के स्थान पर रू० 5117.00 लाख (एकअवन करोड़ सत्तरह लाख) मात्र पढ़ा जाय।

तदनुसार निर्गत आवंटन संख्या 30/आ० दिनांक 15.07.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आवंटन की अन्य शर्त यथावत रहेंगे।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22.2.17

ज्ञापांक 115/310/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22.2.17

ज्ञापांक 115/310/

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-01(स०), उद्योग विभाग/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।